

राजकीय विद्यालयों का शुल्क विवरण शिक्षा सत्र- 2019-20

क्र०सं०	शुल्क का प्रकार	कक्षा- 9 से 10				कक्षा- 11 से 12			
		SC/ST/ OBC BOY	SC/ST/ OBC GIRL	GEN - BOY	GEN - GIRL	SC/ST/ OBC BOY	SC/ST/ OBC GIRL	GEN- BOY	GEN- GIRL
1-	राजकीय शुल्क								
(क)	प्रवेश/पुनःप्रवेश	10	10	10	10	10	10	10	10
(ख)	टी०सी० शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5
2-	छात्रकोष शुल्क								
(क)	छात्रकोष	100	100	200	200	150	150	300	300
(ख)	एसयूपीडब्लू	50	50	50	50	-	-	-	-
(ग)	स्काउट	5	5	5	5	5	5	5	5
3-	वि०दू०बीमा	10	5	10	5	10	5	10	5
4-	विकास शुल्क	विद्यालय विकास समिति में लिये गये प्रस्ताव/निर्णय अनुसार							

नोट:-

- (1)-कक्षा-11 एवं 12 में विज्ञान/टंकण शुल्क 100/-रूपये केवल विज्ञान/टंकण विषय लेने वाले विद्यार्थियों से ही लिया जाना है अन्य विद्यार्थियों से नहीं लिया जाना है ।
- (2)-शिक्षण शुल्क 30000/-तक आयकर देने वाले अभिभावकों के बच्चों से कक्षा-9 एवं 10 के लिये- 360/-रूपये एवं कक्षा-11 एवं 12 के लिये-720/-रूपये लिया जाना है ।
- (3)-शिक्षण शुल्क 30000/-से ज्यादा आयकर देने वाले अभिभावकों के बच्चों से कक्षा-9 एवं 10 के लिये- 600/-रूपये एवं कक्षा-11 एवं 12 के लिये-1200/-रूपये लिया जाना है ।
- (4)-उप-शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग,राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक-प.6 (1) शिक्षा-1/2002/जयपुर दिनांक 13.5.2010 के अनुसार कक्षा -01 से 08 तक के छात्र/छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है । जिसमें छात्रकोष एवं विकास कोष भी सम्मिलित है (छात्रकोष एवं विकास शुल्क भी नहीं लिया जाना है) यद्यपि उक्त सारणी तैयार करने हेतु पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी त्रुटि होने पर राज्य सरकार/विभागीय आदेश ही सर्वमान्य होंगे।